कनाडा विवाद से व्यापार संबंध बेअसर

भारत के 33वें सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार कनाडा की कुल व्यापार में हिस्सेदारी 1 प्रतिशत से भी कम

श्रेया नंदी और संजीव मुखर्जी

भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक स्तर का तनाव, नाटकीय तरीके से बढ़ा जरूर है लेकिन इसके कारण दोनों देशों के व्यापार और निवेश संबंधों पर कोई असर पड़ने की संभावना नहीं है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा।

उन्होंने कहा, 'अभी तक स्थिति चिंताजनक नहीं है। द्विपक्षीय व्यापार इतना बड़ा नहीं है कि भारत के समग्र व्यापार पर भारी असर पड़े। कनाडा का पेंशन फंड भारत में निवेश करना जारी रखेगा भले ही उसे सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) जैसे देशों के माध्यम से निवेश करना पड़े।'

भारत के कुल व्यापार में 1 प्रतिशत से भी कम हिस्सेदारी की वजह से कनाडा भारत का 33वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और वित्त वर्ष के पहले सात महीने के दौरान (अप्रैल-अक्टूबर) कुल व्यापार 2.68 अरब डॉलर रहा। हालांकि ताजा विवाद की आंच कनाडा से आयात होने वाली मटर (पीली मटर) और मसूर (दाल) पर भी पड़ सकती है जो भारत में इस्तेमाल होने वाली दो मुख्य दालों का एक प्रमुख स्रोत है।

भारत पिछले कुछ वर्षों से कनाडा से इतर अन्य जगहों से मटर और मसूर की खरीद के विकल्प तलाश रहा है। रूस के साथ अनुकूल मुद्रा व्यापार और कनाडा के साथ कूटनीतिक तनाव इसकी प्रमुख वजह बताई जा रही है।

वित्त वर्ष 2024 में भारत ने रिकॉर्ड स्तर पर करीब 16.7 लाख टन मसूर का आयात किया जिसमें कनाडा ने करीब 46 प्रतिशत और ऑस्ट्रेलिया ने करीब 49 फीसदी का योगदान दिया। इसी तरह मटर (पीली मटर) के मामले में भारत ने वित्त वर्ष 2024 में करीब 11.6 लाख टन का आयात किया था जिसमें से कनाडा का करीब 52 फीसदी जबकि रूस का करीब 30 प्रतिशत अंशदान रहा।

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत और कनाडा के बीच में व्यापार समझौते की संभावना तब तक ठंडे बस्ते में रहेगी जब तक जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में है। काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट के विशिष्ट प्रोफेसर विश्वजित धर कहते हैं कि कनाडा भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार नहीं है और भारत के कुल व्यापार में इसकी हिस्सेदारी कम है। हालांकि आगे बाजार में अपना पैर जमाने की संभावना लगभग खत्म हो गई है।

उनका कहना है, 'इस वक्त हम जो बढ़ते तनाव को देख रहे हैं इसका असर मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की वार्ता फिर से शुरू करने पर पड़ेगा क्योंकि अब कूटनीतिक स्तर पर तनाव देखा जा रहा है। कम से कम तब तक एफटीए बातचीत अब ठंडे बस्ते में रहेगी जब तक कि ट्रूडो सरकार सत्ता में है।' वित्त वर्ष 2024 के दौरान भारत का कनाडा में किया जाने वाला निर्यात लगभग 3.84 अरब डॉलर रहा जो वित्त वर्ष 2023 में 4.11 अरब डॉलर था। भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुओं में दवाएं, परिधान, हीरे, रसायन, रत्न एवं आभूषण, समुद्री खाद्य पदार्थ, इंजीनियरिंग वस्तुएं, चावल, इलेक्ट्रिक उपकरण आदि शामिल हैं। वित्त वर्ष 2024 में कनाडा से होने वाला आयात 4.55 अरब डॉलर रहा जो एक वर्ष पहले 4 अरब डॉलर था। भारत की कनाडा पर आयात निर्भरता मुख्यतौर पर दालों, कच्चे तेल, उर्वरक, एयरक्राफ्ट, विमानन उपकरण, हीरे, बिटुमिंस कोयला के कारण है।

दिल्ली के थिंक टैंक, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनीशिएटिव (जीटीआरआई) का कहना है कि राजनीतिक तनाव के बावजूद दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार पर इसका प्रभाव न्यूनतम है। जीटीआरआई ने एक रिपोर्ट में कहा, 'इसकी वजह यह है कि व्यापार निजी क्षेत्र के स्तर पर होता है और भारत या कनाडा किसी ने भी ऐसे नियमन लागू नहीं किए हैं जिससे वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान पर कोई प्रतिबंध हो। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कूटनीतिक संबंधों में भले ही खटास दिख रही है लेकिन दोनों देशों का कारोबार फल-फूल रहा है और फिलहाल राजनीतिक तनाव से इनका कोई वास्ता नहीं है।'

कोविड के बाद कनाडा से एफडीआई दोगुना हुआ

सचिन मामपट्टा

भारत में कनाडा से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) कोविड महामारी के बाद दोगुना हो गया है। मगर भारत से कनाडा में होने वाले निवेश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान सुस्ती दिखी है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2019 में कनाडा से भारत में 1.8 अरब डॉलर एफडीआई आया था, जो मार्च 2024 में बढ़कर कुल 3.9 अरब डॉलर हो गया। भारत में आने वाले कुल एफडीआई में कनाडा की हिस्सेदारी इस अवधि में 0.42 प्रतिशत से बढ़कर 0.57 प्रतिशत हो गई। यह दर्शाता है कि कनाडा से भारत में एफडीआई कुल एफडीआई की तुलना में तेज रफ्तार से आया है।

एफडीआई के तहत कोई कंपनी दीर्घकाल के लिए निवेश करती है। भारत और कनाडा के कूटनीतिक रिश्तों में आई खटास के बीच एफडीआई के ये आंकड़े काफी अहम हैं। कनाडा ने आरोप लगाया है कि भारत के इशारे पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है। निज्जर को कनाडा की नागरिकता हासिल थी। भारत ने कनाडा के इस आरोप को बेबुनियाद बताया है। इस मामले को लेकर तल्खी बढ़ने के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित कर दिए हैं। भारत ने आरोप लगाया है कि कनाडा अपने यहां चरमपंथियों को पनाह दे रहा है। एफडीआई सूची में कनाडा का ओहदा लगातार बढ़ रहा है। यह 2015 में 27वें, 2019 में 19वें और 2024 में 17वें स्थान पर था।

कनाडा ने बिश्नोई गिरोह से जोड़े तार, भारत का इनकार

सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे को लेकर भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक विवाद मंगलवार को और गहरा गया, जहां ओटावा ने अपने यहां गुप्त अभियान चलाने में बिश्नोई गिरोह के तार भारत सरकार के एजेंटों से जोड़ने का प्रयास किया। नई दिल्ली ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। दोनों देशों में तनाव बढ़ने के बीच कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने भारत के खिलाफ पाबंदी लगाने की संभावना को खारिज नहीं किया। उन्होंने कहा कि सभी विकल्प विचाराधीन हैं।

भारत ने कनाडा में आपराधिक गिरोहों से भारतीय एजेंटों को जोड़ने के कनाडाई अधिकारियों के प्रयासों को पुरजोर तरीके से नकार दिया। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि ओटावा का यह दावा सच नहीं है कि उसने निज्जर मामले में नई दिल्ली के साथ साक्ष्य साझा किए थे। सूत्रों ने कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो के इन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि भारत, कनाडा में कनाडाई नागरिकों को निशाना बनाते हुए गुप्त अभियान चलाने सहित कई गतिविधियों में संलिप्त था। ट्रूडो ने संवाददाता सम्मेलन में निज्जर मामले में भारत पर उंगली उठाते हुए कहा कि कनाडा अपनी धरती पर अपने नागरिकों को धमकाने और मारने में किसी विदेशी सरकार की संलिप्तता कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उधर, रॉयल कनाडियन माउंटेड पुलिस (आरसीएमपी) ने आरोप लगाया कि बिश्नोई गिरोह के तार भारत सरकार के उन 'एजेंटों' से जुड़े हैं, जो देश में दक्षिण एशियाई समुदाय, विशेष रूप से 'खालिस्तान समर्थक तत्वों' को निशाना बना रहे हैं। भारत सरकार के सूत्रों ने कहा कि सभी कनाडाई अधिकारियों का मुख्य दावा यह है कि भारत को प्रामाणिक सबूत पेश किए गए हैं। यह बात उनके प्रभारी राजदूत स्टीवर्ट व्हीलर्स ने भी प्रेस के सामने दोहराई, लेकिन सीधी सी बात है कि यह सच नहीं है। भारत और कनाडा दोनों ही अमेरिका के करीबी मित्र हैं। अमेरिका इस मामले में चुप्पी साधे हुए है, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ फोन पर बातचीत के दौरान 'कानून व्यवस्था के महत्त्व' पर जोर दिया है।

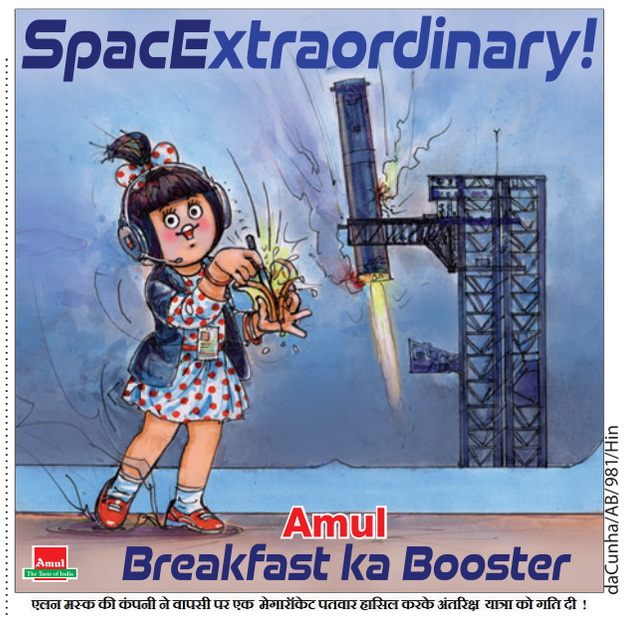

daCunha/AB/981/Hin

एलन मस्क की कंपनी ने वापसी पर एक मेगाशॉकेट पतवार हासिल करके अंतरिक्ष यात्रा को गति दी !

महाराष्ट्र-झारखंड में चुनावी बजा बिगुल

अर्चिस मोहन

निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर, जबकि झारखंड में दो चरणों में 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा। इसी के साथ 15 राज्यों की 48 विधानसभा सीट तथा दो लोकसभा क्षेत्रों वायनाड और नांदेड़ के लिए उपचुनाव भी होगा। मतगणना 23 नवंबर को होगी।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए समाचार चैनलों को नसीहत देते हुए कहा कि एग्जिट पोल और मतगणना रुझान प्रसारित करने को लेकर उन्हें आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। निर्वाचन आयुक्त ने मतगणना रुझानों को बकवास बताया। उन्होंने कहा कि शहरी उदासीनता की समस्या को दूर कर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के मकसद से

मुख्य चुनाव आयुक्त

महाराष्ट्र और झारखंड में बुधवार को मतदान का दिवस तय किया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी तथा नामांकन की आखिरी तिथि 29 अक्टूबर होगी। नामांकन पत्र चार नवंबर तक वापस लिए जा सकते हैं। वर्तमान महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि पूर्वी भारत के जनजातीय बहुल राज्य झारखंड में दो चरणों में क्रमशः 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा।

बम की धमकी

दिल्ली-शिकागो विमान को कनाडा में उतारा

दिल्ली से शिकागो जा रहे एयर इंडिया के एक विमान को मंगलवार को बम की धमकी के बाद कनाडा के एक हवाई अड्डे की ओर मोड़ दिया गया। एयरलाइन के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि 15 अक्टूबर, 2024 को दिल्ली से शिकागो के लिए उड़ान संख्या एआई 127 ऑनलाइन पोस्ट की गई सुरक्षा धमकी के बाद एहतियात के तौर पर कनाडा के इकालुइट हवाई अड्डे पर उतर गई है।

बयान में कहा गया, 'निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार विमान और यात्रियों की फिर से जांच की जा रही है। एयर इंडिया ने यात्रा फिर से शुरू होने तक यात्रियों की सहायता के लिए हवाई अड्डे पर एजेंसियों को सक्रिय कर दिया है।' अधिकारी ने बताया कि इस उड़ान में बम रखे होने की धमकी मिली थी। सोमवार को बम की धमकी के बाद मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को दिल्ली की ओर मोड़ दिया गया। मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए गहन जांच की गई और विमान के अंदर कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। **भाषा**

SBI भारतीय स्टेट बैंक

शाखा कार्यालयः होम लोन सेंटर, ए1/24, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

कब्जा सूचना ({नियम 8(1) के तहत अचल सम्पत्ति के लिए})

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ने खाते के समक्ष वर्णित तिथि को तथा इसमें आगे वर्णित राशि हेतु मांग सूचनाएं जारी की थीं, जिनमें उनसे मांग राशि का भुगतान उक्त सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार राशि चुकाने में विफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदारों, गारंटरों तथा जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा नीचे खाते और राशि के सामने वर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है। एतद्द्वारा, कर्जदार और गारंटर को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सम्पत्ति के सम्बन्ध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी संव्यवहार **भारतीय स्टेट बैंक** की बकाया राशि और उस पर ब्याज का भुगतान करने के बाद ही किया जा सकता है। जिस सम्पत्ति का कब्जा लिया गया है, उनका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :-

कर्जवार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के सम्बन्ध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

कर्जवार/गारंटर का नाम	बंधक सम्पत्ति का वर्णन	बकाया राशि (धारा 13(2) के तहत सूचना के अनुसार)	13(2) के तहत सूचना की तिथि	कब्जा की तिथि
कर्जदार: **श्री इन्द्र छेत्री**	सम्पत्ति के वह सभी भाग एवं हिस्से जो स्थित है - **फ्लैट नम्बर 15, ब्लॉक सी 5, पॉकेट 3, सेक्टर 34, रोहिणी, नई दिल्ली**	**रू.7,95,653/-** (सात लाख पिचानबे हजार छः सौ तिरपन रूपये मात्र) 21.05.2019 तक, 22.05.2024 से प्रभावी भविष्य के ब्याज एवं आकस्मिक शुल्क	24.06.2024	15.10.2024

दिनांक: 15.10.2024 स्थान: नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, होम लोन सेंटर, जनकपुरी, दिल्ली**

SBI भारतीय स्टेट बैंक

शाखा कार्यालयः होम लोन सेंटर, ए1/24, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

कब्जा सूचना ({नियम 8(1) के तहत अचल सम्पत्ति के लिए})

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ने खाते के समक्ष वर्णित तिथि को तथा इसमें आगे वर्णित राशि हेतु मांग सूचनाएं जारी की थीं, जिनमें उनसे मांग राशि का भुगतान उक्त सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार राशि चुकाने में विफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदारों, गारंटरों तथा जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा नीचे खाते और राशि के सामने वर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है। एतद्द्वारा, कर्जदार और गारंटर को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सम्पत्ति के सम्बन्ध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी संव्यवहार **भारतीय स्टेट बैंक** की बकाया राशि और उस पर ब्याज का भुगतान करने के बाद ही किया जा सकता है। जिस सम्पत्ति का कब्जा लिया गया है, उनका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :-

कर्जवार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के सम्बन्ध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

कर्जवार/गारंटर का नाम	बंधक सम्पत्ति का वर्णन	बकाया राशि (धारा 13(2) के तहत सूचना के अनुसार)	13(2) के तहत सूचना की तिथि	कब्जा की तिथि
कर्जदार: **मिस गुनिशा कोहली और श्री विनेय कुमार**	सम्पत्ति के वह सभी भाग एवं हिस्से जो स्थित है - **फ्लैट नम्बर 984, भूतल पॉकेट डी, लोकनायक पुरम नई दिल्ली**	**रू.21,27,186/-** (इक्कीस लाख सतार्इस हजार एक सौ छियासी रूपये मात्र) 26.06.2019 तक, 25.06.2024 से प्रभावी भविष्य के ब्याज एवं आकस्मिक शुल्क	24.06.2024	15.10.2024

दिनांक: 15.10.2024 स्थान: नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, होम लोन सेंटर, जनकपुरी, दिल्ली**

पंजाब नैशनल बैंक pnb punjab national bank ...the name you can BANK upon!

सर्किल सस्त्रा, गाजियाबाद, द्वितीय तल, केजे–13, कवि नगर, गाजियाबाद–201002 (उत्तर प्रदेश) ई–मेल : cs8228@pnb.co.in

कब्जा सूचना [नियम 8(1)] (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने पंजाब नैशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित **02–08–2024** को जारी की थी, जिसमें **श्रीमती पिंकी पूनिया पत्नी अश्वनी कुमार (कर्जदार) एवं श्री अश्वनी कुमार पुत्र मदन लाल (सह–कर्जदार), श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्रीपाल सिंह (गारंटर)** से सूचना में वर्णितानुसार **01–08–2024 तक बकाया राशि रू. 22,88,210.60 (रूपये बाईस लाख अठासी हजार दो सौ दस तथा पैसे साठ मात्र)** का भुगतान आगे ब्याज, अनुषंगी खर्चों, लागत, प्रभारों इत्यादि के साथ, उक्त ाभावी, के के के सूचना की तिथि/सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार बकाया राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतः कर्जदार तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा **14–10–2024** को ले लिया है।

एतद्द्वारा कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को इस सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार **पंजाब नेशनल बैंक, (बीओ : गोविंदपुरम एसओआई आईडी 004039) की 01–08–2024 तक बकाया राशि रू. 22,88,210.60 (रूपये बाईस लाख अठासी हजार दो सौ दस तथा पैसे साठ मात्र)** उस पर आगे ब्याज, लागत और खर्चों सहित चुकाने के बाद ही किया जा सकता है।

कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

चल सम्पत्ति का वर्णन

सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : श्रीमती पिंकी पूनिया के नाम न्यायिक बंधक आवासीय फ्लैट नंबर डी–379, एमआईजी ग्राउण्ड फ्लोर, सेक्टर–11, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201009, क्षेत्रफल परिमाप 51.13 वर्ग मीटर

तिथि : 14–10–2024, स्थान : गाजियाबाद — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

नूतन विद्या मंदिर, जीटीबी एन्क्लेव, दिलशाद गार्डन, दिल्ली–110093
ईमेलः ubin0920711@unionbankofindia.bank

[नियम 8(1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नूतन विद्या मंदिर, जीटीबी एन्क्लेव, दिलशाद गार्डन, दिल्ली–110093** के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम नं. 54) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर मांग नोटिस दिनांकित **15.07.2024** जारी किया था जिसमें कर्जदार **श्री विपिन जैन, प्रॉपराईटर मेसर्स बी डी जे इंटरनेशनल** से सूचना में उल्लिखित राशि रु. 1,01,28,624.31/– (रुपये एक करोड़ एक लाख अठाईस हजार छह सौ चौबीस और इकत्तीस पैसा मात्र) को उक्त नोटिस प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर चुकता करने के लिए कहा।

कर्जदार द्वारा उक्त राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे उल्लिखित संपत्ति का **15 अक्टूबर, 2024** को कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और सामान्य रूप में सर्व साधारण को संपत्ति से कोई लेन–देन न करने के लिए आगाह किया जाता है तथा संपत्ति का कोई भी लेन–देन राशि **रु. 1,01,28,624.31/– (रुपये एक करोड़ एक लाख अठाईस हजार छह सौ चौबीस और इकत्तीस पैसा मात्र)** और इस पर ब्याज के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार के अधीन होगा।

प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को उपलब्ध समय के संबंध में मुक्त कराने के लिए अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा(8) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

उप पंजीयक सदर III गाजियाबाद और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के पंजीकरण में आवासीय फ्लैट नं. 11/112 बी (भूतल और दूसरे तल के छत अधिकारों सहित), सेक्टर 3, राजेन्द्र नगर, सर्वे नं. 11/112बी गाजियाबाद के सभी भाग व खंड।

सीमाएँ: उत्तर में– रोड 60 फुट चौड़ा; दक्षिण में: संपत्ति नं. 115 और 116; पूर्व में: संपत्ति नं. 11/112 का भाग; पश्चिम में: संपत्ति नं. 113

दिनांक: 15.10.2024, स्थान: दिल्ली — **प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Please scan this QR Code to view the DRHP)

QUADRANT

QUADRANT FUTURE TEK LIMITED

Our Company was incorporated as 'Quadrant Cables Private Limited' on September 18, 2015 at Mohali, Punjab as a private limited company under the Companies Act, 2013. Thereafter, the name of our company was changed from 'Quadrant Cables Private Limited' to 'Quadrant Future Tek Private Limited', and a fresh certificate of incorporation dated October 08, 2021 was issued by Registrar of Companies, Punjab and Chandigarh ("**RoC**"). Subsequently, our Company was converted into a public limited company, the word 'private' was struck off from the name of our Company and consequently, a fresh certificate of incorporation dated October 21, 2021 was issued by the RoC, recording the change of our Company's name to 'Quadrant Future Tek Limited'. For details of change in the name and registered office of our Company, see ***"History and Certain Corporate Matters"*** on page 205 of the Draft Red Herring Prospectus dated June 02, 2024 ("**DRHP**") filed with the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**")

Corporate Identity Number: U74999PB2015PLC039758
Registered Office: Village Basma Tehsil Banur, Distt Mohali - 140 417, Punjab, India;
Corporate Office: 1st Floor, SCO 20-21, Sector 66A, Airport Road JLPL, Mohali, Punjab – 160 062. **Contact Person:** Pankaj, Company Secretary and Compliance Officer;
Telephone: +91 1762 245509; **E-mail:** cs_qftl@quadrantfuturetek.com; **Website:** www.quadrantfuturetek.com

OUR PROMOTERS: MOHIT VOHRA, AMIT DHAWAN, AMRIT SINGH RANDHAWA, RUPINDER SINGH, VISHESH ABROL, VIVEK ABROL, AIKJOT SINGH AND RAJBIR SINGH RANDHAWA

INITIAL PUBLIC ISSUE OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH (EQUITY SHARES) OF QUADRANT FUTURE TEK LIMITED (OUR COMPANY) FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE) (ISSUE PRICE) AGGREGATING UP TO ₹ 2,750.00 MILLION (ISSUE). THE ISSUE SHALL CONSTITUTE [●] % OF OUR POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

NOTICE TO INVESTORS (THE "PUBLIC ANNOUNCEMENT")

This is with reference to the DRHP dated June 02, 2024 and the Addendum to the DRHP dated August 05, 2024 ("**Addendum**") filed by the Company with Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") and Stock Exchanges in connection with the Issue. Potential Investors may note that, our Company has undertaken to incorporate the additions / modifications (reproduced in 'italics') provided below and the relevant information and details reflected in the DRHP shall stand updated accordingly;

A. The chapter titled **'Capital Structure'** and details disclosed under the heading **"Details of build-up of our Promoter's shareholding in our Company"** on page 98 of the DRHP is updated to read as under para (e):

(e) Sales or purchases of Equity Shares or other specified securities of our Company by our Promoter, the members of our Promoter Group and/or our Directors and their relatives during the six months immediately preceding the date of the Draft Red Herring Prospectus.

Except for the issue and allotment of equity shares as bonus issue by the Company on April 15, 2024 (for details, see "Capital Structure - History of the Equity Share capital held by our Promoter" on page 92) and as disclosed hereunder, none of our Promoter, members of our Promoter Group, and / or our Directors and their relatives have sold or purchased or acquired any Equity Shares or other specified securities of our Company during the six months immediately preceding the date of the Draft Red Herring Prospectus:

S. No.	Name of Transferor	Name of Transferee	Price per Equity Share	Total consideration	Number of equity shares transferred	Date of Transfer
1.	Mohan Krishan Abrol	Vivek Abrol	By way of Gift	Nil	4,00,000	September 12, 2024

The aforementioned Transferor and Transferee are immediate relatives. Disclosures regarding the abovementioned transfer of shares shall be updated in Red Herring Prospectus and Prospectus, as applicable.

The above-mentioned additions are to be read in conjunction with the DRHP and the Addendum and accordingly their references in the DRHP and Addendum stand amended pursuant to this Public Announcement. The information in this Public Announcement supplements to DRHP and the Addendum and updates the information in the DRHP, as applicable. However, please note that this Public Announcement does not reflect all changes that have occurred between the date of filling of the DRHP and the Addendum and the respective dates thereof, and the information included in the DRHP and Addendum will be suitably updated, including to the extent stated in this Public Announcement, as may be applicable in the Updated Draft Red Herring Prospectus, Red Herring Prospectus and the Prospectus, as and when filed with ROC, SEBI and the Stock Exchanges.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE OFFER
SUNDAE	LINKIntime
Sundae Capital Advisors Private Limited 404, 4th floor, Vaibhav Chambers Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051, Maharashtra, India **Tel. No.** +91 96 6785 9191 / +91 22 4515 5887; **Email:** quadrant.ipo@sundaecapital.com **Investor Grievance e-mail id:** grievances.mb@sundaecapital.com **Website:** www.sundaecapital.com; **SEBI Regn. No.:** INM000012494 **Contact Person:** Anchal Lohia / Rajiv Sharma	**Link Intime India Private Limited** C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West) Mumbai - 400 083, Maharashtra, India **Tel.:** + 91 81 0811 4949; **E-mail ID:** quadrant.ipo@linkintime.co.in **Website:** www.linkintime.co.in **SEBI Regn. No.:** INR000004058 **Contact Person:** Pradnya Karanjekar

On behalf of **Quadrant Future Tek Limited**
Sd/-
Pankaj
Company Secretary

Date : October 15, 2024
Place : Mohali

QUADRANT FUTURE TEK LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP and the Addendum. The DRHP and the Addendum are available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, on the website of company at www.quadrantfuturetek.com and on the website of BRLM i.e. Sundae Capital Advisors Private Limited at www.sundaecapital.com. Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see the section entitled ***"Risk Factors"*** on page 31 of DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

This announcement is not an offer of securities for sale in the United States elsewhere. This announcement has been prepared for publication in India only and is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States. The equity shares offered have not been, and will not be registered under U.S. Securities Act of 1993, as amended (the "**U.S. Securities Act**") or any state law of United States and may not be offered or sold with the United States, expect pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state Securities law, Accordingly the Equity Shares are only being offered and sold (a) in the United States only to "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act) in transactions exempt from, or not subject to the registration requirements of the U.S. Securities Act and (b) outside the United States in "Offshore transactions" in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act, and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur.

CONCEPT